रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 1, 2018/कार्तिक 10, 1940
No. 408] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 1, 2018/KARTIKA 10, 1940

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 29 अक्तूबर, 2018

अनुषंगी सामान्य लेजर खाता : पात्रता मानदंड और परिचालन दिशा निर्देश

सं. आईडीएमडी.सीडीडी.1078/11.02.001/2018-19.—भारतीय प्रत्याभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) के खंड 4 में दिये गए अधिकार के अंतर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक) एतदद्वारा अनुषंगी सामान्य लेजर (एसजीएल) को खोलने और व्यवस्थित करने के लिए अब से लागू शर्तों को निर्दिष्ट करता है।

I. पात्रता मानदंड:

बैंक में एसजीएल खाता खोलने और व्यवस्थित करने के लिए पात्र संस्था नीचे दी गई है-

i. लाइसेन्सड बैंक।

ii. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत प्राथमिक डीलर।

iii. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के खंड 45-I (सी)(ii) के अनुसार परिभाषित वित्तीय संस्थाएं।

iv. केंद्र सरकारें।

v. राज्य सरकारें।

vi. बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित बीमा कम्पनियाँ।

vii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा नियमित म्यूचल फंड।

viii. भविष्य और पेंशन फंड और पेंशन फंड प्रबन्धक।

ix. बैंक के पूर्व अनुमोदन से विदेशी केंद्रीय बैंक।

x. निक्षेपागार अधिनियम 1996 के अंतर्गत परिभाषित निक्षेपागार।

xi. स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल)

xii. समय-समय पर बैंक द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य संस्थाएं।

II.एसजीएल खाता खोलने और व्यवस्थित करने के लिए शर्तें

i. सामान्य परिस्थितियों में पात्र संस्था को केवल एक एसजीएल खाता खोलने और व्यवस्थित करने की अनुमति होगी। कुछ मामलों में, बैंक अतिरिक्त एसजीएल खाता की अनुमति दे सकती है। एसजीएल खाता अपने लोक ऋण कार्यालय में खोला जा सकता है, जो समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है।

ii. ऐसे मामले जहां खाते विनियामक/ मार्जिन रख-रखाव के उद्देश्य के लिए खोले जाते है, को छोड़कर बैंक के विशिष्ट अनुमोदन के बिना किसी घटक अनुषंगी सामान्य लेजर (सीएसजीएल) के साथ घटक खाता को खोलने के लिए एसजीएल खाता होल्डर पात्र नहीं होंगे।

iii. बैंक से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करके एसजीएल से संबन्धित लेन-देन के संबंध में राशियों के निपटारे हेतु बैंक के साथ करेंट खाता को व्यवस्थित करने की अनुमति दी जा सकती है। एसजीएल खाता होल्डर के पास किसी भी निर्धारित निपटारे बैंक में निपटारा खाते को व्यवस्थित करने का विकल्प है।

iv. एसजीएल खाता को खोलने वाली संस्था को आवेदन फार्म, क्षतिपूर्ति बॉन्ड और बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।

v. एसजीएल खाते से/को प्रतिभूतियों का स्थानांतरण, दिशा-निर्देश के पैराग्राफ vi में उल्लिखित को छोड़कर, डिलिवरी v/s भुगतान के आधार पर होगा।

vi. **लागत मुक्त हस्तनान्तरण (वीएफ़टी):** इन दिशानिर्देश के उद्देश्य के लिए, प्रतिभूतियों के लागत मुक्त हस्तनान्तरण का मतलब है कि सिक्योरिटी का हस्तनान्तरण बिना किसी मौद्रिक विचार के एक एसजीएल खाते से अन्य एसजीएल या सीएसजीएल में किया जाए। सिक्योरिटी का लागत मुक्त हस्तनान्तरण बैंक द्वारा निर्धारित तरीके में एसजीएल होल्डर द्वारा प्रभावी होगा।

vii. एसजीएल खाते को होल्डर द्वारा एक निवेदन जिसमे बंद करने का कारण निर्दिष्ट हो और कार्रवाई, यदि कोई ऐसी एसजीएल खाते में रखी सरकारी सिक्योरिटी के संदर्भ में बैंक द्वारा लेना आवश्यक हो, प्रस्तुत करके बंद किया जा सकता है।

viii. एसजीएल होल्डर क्रमिक आधार पर पात्रता मानदंड का अनुसरण करेंगे। ऐसा नहीं करने पर, बैंक द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी जिसमे सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के खंड 30 के अंतर्गत दंड स्वरूप प्रावधान लागू होगा। प्रभाव करने की घोषणा वार्षिक आधार पर पीडीओ, मुंबई को प्रस्तुत किया जाएगा।

ix. बैंक एसजीएल खाते होल्डर को किसी समय में ऐसे फॉर्म में, इतने अंतराल पर और इतने समय में, ऐसे जानकारी, एसजीएल खाते से संबन्धित सूचना या विवरण या एसजीएल खाते में लेन-देन को बैंक को उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकता है।

x. संबन्धित संस्था द्वारा एसजीएल सुविधा के किसी भी दुरुपयोग पर, पूर्वोक्त अधिनियम के खंड 30 में उपलब्ध जुर्मानों के अतिरिक्त सरकारी अधिनियम, 2006 (2006 का 38) में निर्दिष्ट ऐसे खाते को रखने से जिम्मेदार संस्था को वंचित कर दिया जाएगा।

xi. दिनांक 5 सितंबर, 2011 के अधिसूचना सं 183 (भारत के राजपत्र में प्रकाशित – असाधारण – भाग III-खंड 4) द्वारा बैंक से जारी पूर्व दिशानिर्देश के अधिक्रमण में यह दिशानिर्देश जारी की गई है।

श्रीमति मालविका सिन्हा, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा. /331/18]

RESERVE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th October, 2018

Subsidiary General Ledger Account: Eligibility Criteria and Operational Guidelines

No. IDMD.CDD.1078/11.02.001/2018-19.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006), the Reserve Bank of India (the Bank) hereby specifies the conditions applicable henceforth for opening and maintenance of a Subsidiary General Ledger (SGL) account.

I. Eligibility Criteria:

The entities mentioned below are eligible to open and maintain an SGL account with the Bank:

- Licensed Banks
- Primary Dealers authorised by Reserve Bank of India
- Financial institutions as defined in terms of Section 45-I (c) (ii) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)
- Central Government
- State Governments
- Insurance Companies regulated by Insurance Regulatory and Development Authority
- Mutual Funds regulated by Securities and Exchange Board of India
- Provident and Pension Funds and Pension Fund Managers
- Foreign Central Banks with prior approval of the Bank
- Depositories as defined under the Depositories Act 1996
- Stock Holding Corporation of India (SHCIL)
- Such other entities as may be approved by the Bank from time to time

II. Conditions for Opening & Maintenance of the SGL account:

i. An eligible entity will in normal circumstances, be allowed to open and maintain only one SGL account. In certain cases, the Bank may allow the entity to open an additional SGL account. An SGL account can be opened at its Public Debt Offices, as may be decided by the Bank from time to time.

ii. A SGL account holder shall not be eligible to open a constituent account with any Constituents' Subsidiary General Ledger (CSGL) account holder without specific approval from the Bank except in cases where the accounts are required to be opened for regulatory /margin maintenance purposes.

iii. A SGL account holder may be allowed to maintain a current account with the Bank to settle the funds in respect of transactions pertaining to the SGL account subject to obtaining specific approval of the Bank. An SGL account holder also has the option to maintain a settlement account with any designated settlement bank.

iv. The entity opening an SGL account shall submit an application form, indemnity bond and such other documents, as may be decided by the Bank from time to time.

v. The transfer of securities from/to an SGL account shall be on a Delivery versus Payment basis, except as provided in paragraph vi. of the guidelines.

vi. **Value Free Transfer (VFT):** For the purpose of these guidelines, Value Free Transfer (VFT) of the securities shall mean transfer of securities from one SGL account to another SGL or CSGL account without monetary consideration. Value Free Transfers of securities shall be effected by SGL holders in the manner as may be prescribed by the Bank.

vii. A SGL account can be closed by the account holders by submitting a request mentioning therein the reason(s) for closure and the action, if any, required to be taken by the Bank in respect of the Government securities held in such SGL account.

viii. The SGL holders shall abide by the eligibility criteria on a continuous basis. Any failure to do so will attract appropriate action by the Bank including application of penal provisions under Section 30 of the Government Securities Act, 2006. A declaration to the effect shall be submitted to PDO, Mumbai on an annual basis.

ix. The Bank may at any time direct the SGL account holder to furnish to the Bank, in such form, at such intervals and within such time, such statements, information or particulars relating to the SGL account or connected with transactions in SGL account.

x. Any misuse of the SGL facility by the entity concerned, will make the entity liable to be debarred from holding of such account as mentioned in Section 27 of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006), in addition to inviting the penalties as provided in Section 30 of the Act *ibid*.

xi. These guidelines are issued in supersession of the earlier guidelines issued by the Bank vide Notification No. 183 dated September 05, 2011 (published in The Gazette of India – Extraordinary – Part III – Section 4)

SMT. MALVIKA SINHA, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./331/18]

अधिसूचना

मुंबई, 29 अक्तूबर, 2018

घटक अनुषंगी सामान्य लेजर खाता : पात्रता मानदंड और परिचालन दिशा निर्देश

सं. आईडीएमडी.सीडीडी. 1078 /11.02.001/2018-19.—भारतीय प्रत्याभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) के खंड 4 में दिये गए अधिकार के अंतर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक) एतदद्वारा घटक अनुषंगी सामान्य लेजर (सीएसजीएल) को खोलने और व्यवस्थित करने के लिए अब से लागू शर्तों और रिकार्ड को व्यवस्थित करना और उनके घटकों के हितों की सुरक्षा के लिए सीएसजीएल खाताधारकों द्वारा अपनाए गए प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है।

I. पात्रता मापदंड:

अपने घटक गिल्ट खाता धारक (जीएएच) के लिए बैंक में सीएसजीएल खाता को खोलने और व्यवस्थित करने के लिए नीचे दी गई संस्था पात्र हैं-

i.लाइसेन्सड बैंक रु.100 करोड़ की न्यूनतम कुल संपत्ति के साथ।

ii.भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत प्राइमरी डीलर

iii.निक्षेपागार अधिनियम 1996 के अंतर्गत परिभाषित निक्षेपागार।

iv.क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य क्लियरिंग कॉर्पोरेशन

v.राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

vi.स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल)

vii.समय-समय पर बैंक द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य संस्थाएं।

II. सीएसजीएल खाता-धारकों द्वारा संकलित परिचालन दिशानिर्देश:

i. सामान्य परिस्थितियों में पात्र संस्था को केवल एक सीएसजीएल खाता खोलने और व्यवस्थित करने की अनुमति होगी। कुछ मामलों में, बैंक अतिरिक्त सीएसजीएल खाता की अनुमति दे सकती है।

ii. सीएसजीएल खाताधारक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन घटकों के लिए गिल्ट खाते खोले / रखे गए हैं, वे विशिष्ट ऋण अधिसूचनाओं और सरकार द्वारा जारी विशिष्ट ऋण अधिसूचनाओं के संदर्भ में सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के लिए योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं।

iii. सीएसजीएल खाता धारक जो बैंक द्वारा विनियमित होते हैं, समय- समय पर जारी अपने जीएएच के संदर्भ में बैंक द्वारा जारी "नो योर कस्टमर" पर दिशानिर्देश का अनुसरण करना होगा। अन्य सीएसजीएल खाताधारक को अपने संबन्धित विनियामकों द्वारा जारी केवाईसी पर संबन्धित दिशानिर्देश का पालन करना होगा।

iv. एक घटक को किसी भी सीएसजीएल खाता धारकों के साथ एक या एक से अधिक गिल्ट खाता को खोलने की अनुमति है। यह अनुमति उनके परिचालन पर संबन्धित दिशानिर्देश/अनुदेश यदि कोई है तो उसके अधीन होगा जो घटक के संबन्धित विनियामक जैसे सेबी, आईआरडीए, पीएफ़डीआरए इत्यादि द्वारा जारी होगा। गिल्ट खाता की अलग संख्या होगी।

v. सीएसजीएल खाते से/को प्रतिभूतियों का स्थानांतरण, दिशा-निर्देश के पैराग्राफ vi में उल्लिखित को छोड़कर, डिलिवरी v/s भुगतान के आधार पर होगा।

vi. लागत मुक्त हस्तनान्तरण (वीएफ़टी): सिक्योरिटी का लागत मुक्त हस्तनान्तरण बैंक द्वारा निर्धारित तरीके में सीएसजीएल होल्डर द्वारा प्रभावी होगा। इन दिशानिर्देश के उद्देश्य के लिए, प्रतिभूतियों के लागत मुक्त हस्तनान्तरण का मतलब है कि सिक्योरिटी का हस्तनान्तरण बिना मौद्रिक विचार के एक सीएसजीएल या एसजीएल में किया जाए।

vii. सीएसजीएल खाताधारकों के पास खाता को व्यवस्थित करने और व्यापार निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कंटीजेन्सी/बैक-अप योजना के साथ अपने घटक के आधार पर डील्स रखने के लिए उचित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ढांचा होना चाहिए। आईटी ढांचा का प्रत्येक वर्ष प्रमाणित पेशेवर द्वारा ऑडिट किया जाएगा और यदि कोई टिप्पणी उनके द्वारा की जाती है तो तुरंत उसका अनुपालन किया जाएगा।

viii. सीएसजीएल खाता धारक अपने घटकों के साथ एक समझौते का क्रियान्वयन करेगा जो स्पष्ट रूप से परिस्थितियों जिसके अंतर्गत घटक के आधार पर प्रत्याभूतियों को स्वीकार/अवमुक्त और निधियों को स्वीकार/अवमुक्त करेगा, घटक के अधिकार और बाध्यता तथा घटक को उपलब्ध शिकायत निपटारा तंत्र को निर्दिष्ट करेगा।

ix. सीएसजीएल खाताधारक यह सुनिश्चित करेंगे कि घटकों से संबंधित सौदों / लेनदेन संबंधित घटकों के निर्देशों के अनुसार रखे जाएं और अपने घटकों से प्राप्त निर्देशों के उचित रिकॉर्ड बनाए रखें। तदनुसार, सीएसजीएल खाता धारक सीएसजीएल खाते में सरकारी प्रतिभूतियों को बंद करने से रोक देगा या

अन्यथा घटक से लिखित सहमति के बिना घटकों से आंशिक रूप से या पूरी तरह से किसी भी मात्रा में समाप्त करने के लिए उनसे निपटेंगे।

x. सीएसजीएल खाताधारक सीएसजीएल खाता से/को सरकारी प्रत्याभूतियों की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी/जिम्मेदार होगा और सिस्टम जेनरेटेड ऑडिट ट्रेल उपलब्ध कराएगा, जब भी घटक या बैंक द्वारा मांगा जाएगा।

xi. सीएसजीएल खाता धारक लेनदेन की तारीख पर संबंधित घटकों की ओर से लगाए गए प्रत्येक खरीद / बिक्री लेनदेन के लिए एक सौदा पर्ची जारी करेंगे / पोस्ट करेंगे, जिसमें सौदे के विवरण उसमे निर्दिष्ट किया जाएगा जैसे आईएसआईएन, लिखत नामकरण, खरीद / बिक्री मात्रा , खरीद / बिक्री मूल्य, सेवा शुल्क इत्यादि। इसके अलावा, सीएसजीएल खाताधारक अनुबंध के अनुसार प्रत्येक घटक के विशेष मांग पर भी प्रत्येक घटक को सरकारी प्रतिभूतियों के बकाया / लेनदेन विवरण का उल्लेख करते हुए जानकारी भेज देगा और साथ ही घटक से शेष पुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

xii. सीएसजीएल खाताधारक घटक के फंड खाते को देय तिथि पर ब्याज / रिडेम्प्शन आय की देय राशि के साथ क्रेडिट करेगा और सत्यापन के लिए इसका उचित रिकॉर्ड बनाएगा।

xiii. सीएसजीएल खाताधारक घटक की ओर से किए गए प्रत्येक सौदे के निपटारे के लिए उत्तरदायी होगा और प्रतिभूतियों / निधियों में किसी भी कमी को सीएसजीएल खाता धारक के खिलाफ एसजीएल सौदे का मामला माना जाएगा।इसके अलावा, सीएसजीएल खाता धारक, घटकों की ओर से किसी भी सौदे को जमा करने से पहले, यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक द्वारा जारी किए गए नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, इस तरह के लेनदेन / सौदों में प्रवेश के लिए उक्त घटक योग्य है।

xiv. सीएसजीएल खाताधारकों के पास एक अच्छी तरह से प्रलेखित परिचालन मैनुअल होगा, जो उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित है, जो डीलरों / मध्य-कार्यालय / बैक ऑफिस की भूमिकाओं / जिम्मेदारियों और घटकों की तरफ से उचित लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए परिणामी चेक और बैलेंस को उजागर करता है जिससे इस तरह के संरक्षक व्यवसाय से सीएसजीएल खाताधारक के साथ-साथ घटकों को उत्पन्न होने वाले किसी भी जोखिम को कम किया जाए।

xv. सीएसजीएल खाता धारक ई-कुबेर डेटा के अनुसार उनके सीएसजीएल खाते में बकाया शेषों के दैनिक सुलह को उनके द्वारा बनाए गए घटक-वार होल्डिंग विवरण के तुलना में सुनिश्चित करेंगे। बकाया शेष राशि में किसी भी विसंगति को तुरंत ई-कुबेर हेल्पडेस्क, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) और लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ), मुंबई के नोटिस में लाया जाएगा ताकि अगले दिन के अंत से पहले शेष राशि सुलझ सके।

xvi. सीएसजीएल खाता धारकों को अपने समवर्ती लेखा परीक्षकों के दायरे में अपने सीएसजीएल खाते के संचालन, साथ ही साथ अपने घटकों के गिल्ट खातों में लेनदेन करना होगा, जो सीएसजीएल खाता लेनदेन के निम्नलिखित पहलूओं पर, अन्यथा सत्यापित और टिप्पणी करेंगे :

क) घटक खाता को खोलने के लिए दस्तावेजों को पूरा करना;

ख) संबन्धित घटक द्वारा सीएसजीएल खाते में प्रत्येक लेन-देन का प्राधिकरण और नियत तारीख पर घटक के गिल्ट खाते में खरीदी/बेंची प्रत्याभूतियों को क्रेडिट/डेबिट करना;

ग) प्रत्येक लेन-देन के लिए घटकों के लिए समय-समय पर डेबिट / क्रडिट सलाह जारी करना;

घ) दैनिक आधार पर घटक-वार धारकों के विवरण की तुलना में सीएसजीएल खाते में अवशेष बकाया का समाशोधन;

ड) छमाही आधार पर घटकों से शेष पुष्टीकरण प्रमाणपत्र की प्राप्ति;

च) नियत तारीख पर घटकों के निधि खाते में ब्याज/ कुल समाशोधन को क्रेडिट करना; और

छ) बैंक द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देश के अनुसार घटकों की पात्रता सुनिश्चित करना, डील/लेन-देन को समाप्त करना और लेन-देन मूल्य वर्तमान बाजार दर के समान हो।

xvii. सीएसजीएल खाता धारक बोर्ड सिस्टम की लेखा परीक्षा समिति को त्रैमासिक आधार पर या अधिक लगातार अंतराल पर सीएसजीएल खाते के संबंध में समवर्ती लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। सीएसजीएल खाताधारक एक त्रैमासिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जो पुष्टि करता है कि लेखापरीक्षा अवलोकनों के अनुपालन के साथ-साथ उनके द्वारा किए गए दैनिक सुलह अभ्यास को बोर्ड के संबंधित नियामक विभाग को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा गया है और उनके निरीक्षण के लिए बैंक की निरीक्षण टीम को ऐसे रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। हालांकि, एनएसडीएल, सीडीएसएल, एसएचसीआईएल और अन्य जैसे बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के मामले में, अनुपालन प्रमाण पत्र पीडीओ, मुंबई को प्रस्तुत किया जा सकता है।

xviii. बैंक सीएसजीएल खाते होल्डर को किसी समय में ऐसे फॉर्म में, इतने अंतराल पर और इतने समय में, ऐसे जानकारी, सीएसजीएल खाते से संबन्धित सूचना या विवरण या एसजीएल खाते में लेन-देन के साथ घटकों के लेन-देन को बैंक को उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकता है।

xix. सीएसजीएल खाताधारक अनुलग्नक –I और II के अनुसार इलेक्ट्रोनिक तरीके से घटक-वार होल्डिंग विवरण, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय भवन, 23 वीं मंजिल, किला, मुंबई–400001 को तिमाही आधार पर (ईमेल आईडी: cgmidmd@rbi.org.in) 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर, अगली तिमाही के पहले सप्ताह तक प्रस्तुत करेंगे।

xx. बैंक, जो सीएसजीएल खाताधारक हैं, 31 मार्च और 30 सितंबर को प्रत्येक वर्ष, अपने स्वयं के निवेश के साथ ही साथ घटकों के ओर से जिसमे ब्रोकर्स भी शामिल है , की अर्ध-वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट की प्रतियां, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग/सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग, जैसा भी मामला हो, के संबंधित केंद्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। प्राथमिक डीलर 31 मार्च और 30 सितंबर को बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग को अपनी अर्ध वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

xxi. एसजीएल होल्डर क्रमिक आधार पर पात्रता मानदंड का अनुसरण करेंगे। ऐसा नहीं करने पर, बैंक द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी जिसमे सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के खंड 30 के अंतर्गत दंड स्वरूप प्रावधान लागू होगा। प्रभाव करने की घोषणा वार्षिक आधार पर पीडीओ, मुंबई को प्रस्तुत किया जाएगा।

xxii. इन दिशानिर्देशों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, सीएसजीएल खातों के खोलने और रखरखाव के नियमों और शर्तों का उल्लंघन या संबंधित संस्था द्वारा सीएसजीएल सुविधा का दुरुपयोग या समय-समय पर जारी परिचालन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 30 में प्रदान

की गई दंड के अतिरिक्त रिजर्व बैंक को सरकारी सिक्योरिटीज एक्ट, 2006 (2006 का 38) की धारा 27 में उल्लिखित सीएसजीएल खाता धारक के अस्थायी या स्थायी विलंब सहित कोई कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है।

xxiii. दिनांक 22 मई, 2012 के अधिसूचना संख्या 135 द्वारा संशोधित दिनांक 5 सितंबर, 2011 के अधिसूचना सं. 183 (भारत के राजपत्र में प्रकाशित–असाधारण–भाग III-खंड 4) द्वारा बैंक से जारी पूर्व दिशानिर्देश के अधिक्रमण में यह दिशानिर्देश जारी की गई है।

श्रीमति मालविका सिन्हा, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./331/18]

अनुलग्नक -I

तिमाही समाप्ति _____________

पर गिल्ट खाते में रखी गयी सरकारी सिक्योरिटी पर स्वामित्व प्रारूप पर विवरण

सीएसजीएल खाता धारक का नाम :

सीएसजीएल खाता सं.

क्र.सं.	निवेशक समूह	खातों की सं.	रखी गयी सिक्योरिटी की राशि (लाख रु. में अंकित मूल्य)			कुल होल्डिंग (लाख रु. में अंकित मूल्य) [4]+[5]+[6]
			राज्य सरकार की सिक्योरिटी	टी-बिल्स	केंद्र सरकार की सिक्योरिटी	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	वाणिज्यिक बैंक					
2.	राज्य/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक					
3.	शहरी सहकारी बैंक					
4.	म्यूचुअल फंड					
5.	बीमा कंपनियाँ					
6.	वित्तीय संस्थाएं					
7.	कॉर्पोरेटस					
8.	हिन्दु अविभक्त परिवार/ व्यैक्तिक					

9.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश					
10.	भविष्य निधि					
11.	अन्य					
कुल						

अनुलग्नक– II

तिमाही समाप्ति ______________

पर गिल्ट खाते में रखी गयी भारत सरकार द्वारा जारी विशेष सिक्योरिटी के स्वामित्व प्रारूप पर विवरण

सीएसजीएल खाता धारक का नाम :

सीएसजीएल खाता सं:

क्र.सं.	गिल्ट खाताधारक का नाम	विशेष प्रतिभूतियों के प्रकार (तेल/उर्वरक/एफ़सीआई आदि)	इन्स्ट्रुमेंट नामावली (आईएसआईएन)	राशि(रु लाख में अंकित मूल्य)
कुल				

RESERVE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th October, 2018

Constituents' Subsidiary General Ledger Account: Eligibility Criteria and Operational Guidelines

No. IDMD.CDD.1078/11.02.001/2018-19.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006), the Reserve Bank of India (the Bank) hereby specifies the conditions applicable henceforth for opening and maintenance of a Constituents' Subsidiary General Ledger (CSGL) account, as also the records to be maintained and procedures to be adopted by the CSGL account holders for safeguarding the interests of their constituents.

I. Eligibility Criteria:

The entities mentioned below are eligible to open and maintain a CSGL account with the Bank on behalf of their constituents, i.e., Gilt Account Holders (GAHs):

i. Licensed banks with minimum net worth of Rs.100 cr.

ii. Primary Dealers authorised by Reserve Bank of India

iii. Depositories as defined under Depositories Act 1996

iv. Clearing Corporation of India Limited or other Clearing Corporations as may be approved by the Bank

v. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)

vi. Stock Holding Corporation of India Ltd (SHCIL)

vii. Such other entities as may be approved by the Bank from time to time.

II. Operational Guidelines to be Complied with by the CSGL Account Holders:

i. An eligible entity will in normal circumstances, be allowed to open and maintain only one CSGL account. In certain cases, the Bank may allow the entity to open an additional CSGL account.

ii. The CSGL account holders shall ensure that the constituents for whom the gilt accounts are opened/maintained satisfy the eligibility conditions for holding Government securities in terms of the General Loan Notifications as also the specific Loan Notifications issued by the Government.

iii. The CSGL account holders, who are regulated by the Bank, shall follow guidelines on 'Know Your Customer' (KYC) issued by the Bank, as applicable from time to time, in respect of their GAHs. Other CSGL account holders shall follow the relevant guidelines on KYC issued by their respective regulators.

iv. A constituent is permitted to open one or more gilt account with any of the CSGL account holders. This permission will be subject to the relevant guidelines/instructions on their operations, if any, issued by the constituent’s respective regulators viz., SEBI. IRDA, PFRDA etc. The gilt accounts will have unique numbers.

v. The transfer of securities from/to a CSGL account shall be on a Delivery versus Payment basis, except as provided in paragraph vi. of the guidelines.

vi. **Value Free transfer -** Value Free Transfers (VFT) of securities shall be effected by CSGL holders in the manner as may be prescribed by the Bank. For the purpose of these instructions, VFT of the securities shall mean transfer of securities from one CSGL account to another CSGL or SGL account without monetary consideration.

vii. The CSGL account holders must have appropriate Information Technology (IT) infrastructure to maintain accounts and put deals on behalf of their constituents with adequate contingency/back-up plan to ensure business continuity. The IT infrastructure shall be subject to Information System (IS) audit by certified professionals every year and any observations made by them shall be immediately complied with.

viii. The CSGL account holder shall execute with their constituents an agreement, which shall categorically mention the circumstances under which they will accept/release securities and accept/release funds on behalf of the constituents, as also the rights and obligations of the constituents, and the grievance redressal mechanism available to the constituents.

ix. The CSGL account holders shall ensure that deals/transactions pertaining to constituents are put through according to the instructions of the concerned constituents and maintain appropriate record of such instructions received from their constituents. Accordingly, the CSGL account holder shall refrain from setting off Government securities in the CSGL account or otherwise deal with them to extinguish partly or fully any amounts due to it from the constituents without written consent from the constituents.

x.The CSGL account holder shall be accountable/responsible for the movement of Government securities from/to the CSGL account and shall provide system generated audit trail, whenever called for by the constituent or the Bank.

xi.The CSGL account holders shall issue/post a deal slip for each buy/sell transaction put through on behalf of the concerned constituents on the transaction date itself mentioning therein the details of the deal, such as, ISIN, instrument nomenclature, buy/sell quantity, buy/sell price, service charges, etc. Further, the CSGL account holder shall send statements mentioning the outstanding/transaction details of Government securities to each constituent as per the agreement as also at the specific request of the constituents, and obtain a balance confirmation certificate from the constituents.

xii.The CSGL account holder shall credit the constituents' fund account with the due amount of interest/redemption proceeds on due date itself and maintain appropriate record of the same for verification.

xiii. The CSGL account holder shall be responsible for settlement of each deal put through on behalf of the constituents and any shortfall in securities/funds will be treated as a case of SGL deal bouncing against the CSGL account holder. Further, the CSGL account holder, before submitting any deals on behalf of the constituents, shall ensure that the particular constituent is eligible, as per the latest guidelines issued by the Bank, for entering into such transactions/deals.

xiv.The CSGL account holders shall have a well documented operational manual, duly approved by their Board, highlighting the roles/responsibilities of the dealers/mid-office/back-office and the resultant checks and balances to ensure proper dealings on behalf of the constituents so as to mitigate any risk arising out of such custodial business to the CSGL account holder as also to the constituents.

xv.The CSGL account holders shall ensure daily reconciliation of outstanding balances in their CSGL account as per the E-kuber data vis-à-vis the constituent-wise holding details maintained by them. Any mismatch in the outstanding balances shall be immediately brought to the notice of E-kuber Helpdesk, Department of Information Technology (DIT) and Public Debt Office (PDO), Mumbai to ensure reconciliation of balances before next day-end.

xvi.The CSGL account holders must put the operations of their CSGL account, as also the transactions in the gilt accounts of their constituents, under the purview of their Concurrent Auditors, who shall verify and comment, inter alia, upon the following aspects of CSGL account transactions:

a) Completion of documents for opening the constituent account;

b) Authorisation of each transaction in the CSGL account by the concerned constituent and that the securities bought/sold have been credited/debited to the constituents' gilt account on due date;

c) Issuance of debit/credit advices in time to the constituents for each transaction put through on their behalf;

d) Reconciliation of the outstanding balances in the CSGL account vis-à-vis the constituent-wise holding details on a daily basis;

e) Receipt of balance confirmation certificates from the constituents on half-yearly basis;

f) Crediting of interest/Redemption proceeds to the constituents' fund account on due date; and

g) Ensuring the eligibility of the constituent, as per latest guidelines issued by the Bank, to put through the deal/transaction and that the deal price is in line with the prevailing market rates.

xvii. The CSGL account holders shall put up the information system audit report as also the concurrent auditor's report in respect of CSGL account to the Audit Committee of the Board on a quarterly basis or at more frequent intervals. The CSGL account holder may submit a quarterly certificate, confirming that the compliance of the audit observations, as also daily reconciliation exercise carried out by them, has been placed before the Audit Committee of the Board, to the concerned regulatory department of the Bank and make available such records to the inspection team of the Bank for their perusal. However, in case of entities not regulated by the Bank, such as NSDL, CDSL, SHCIL and others, the compliance certificate may be submitted to PDO, Mumbai.

xviii.The Bank may at any time direct the CSGL Account holder to furnish to the Bank, in such form, at such intervals and within such time, such statements, information or particulars relating to CSGL account or connected with transactions in the CSGL account, including transactions of the constituents.

xix.The CSGL account holder shall submit constituent-wise holding details electronically, as per Annex-I & II, to the Chief General Manager, Reserve Bank of India, Internal Debt Management Department, Central Office Building, 23rd Floor, Fort, Mumbai - 400001 (email id: cgmidmd@rbi.org.in) on a quarterly basis as on March 31, June 30, September 30 & December 31, by the 1st week of next quarter.

xx. The banks, which are CSGL account holders, shall furnish copies of half-yearly review reports, as on March 31 and September 30 each year, on their own investments, as also, on behalf of other constituents, including brokers, to the respective Central/Regional Offices of the Department of Banking Supervision/Department of Co-operative Bank Supervision of the Bank, as the case may be. Primary Dealers shall furnish their half yearly review reports as on March 31 and September 30 to the Internal Debt Management Department of the Bank.

xxi. The CSGL holders shall abide by the eligibility criteria on a continuous basis. Any failure to do so will attract appropriate action by the Bank including application of penal provisions under Section 30 of the Government Securities Act, 2006. A declaration to the effect shall be submitted to PDO, Mumbai on an annual basis.

xxii. Notwithstanding anything contained in these guidelines, the Reserve Bank reserves the right to take any action including temporary or permanent debarment of the CSGL account holder, as mentioned in Section 27 of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006), in addition to inviting the penalties as provided in Section 30 of the Act *ibid.* for violation of the terms and conditions of the opening and maintenance of CSGL accounts or misuse of the CSGL facility by the entity concerned or breach of the operational guidelines issued from time to time.

xxiii. These guidelines are issued in supersession of the earlier guidelines issued by the Bank vide **Notification No.183 dated September 05, 2011** as amended by **Notification No. 135 dated May 22, 2012** (published in The Gazette of India – Extraordinary – Part III – Section 4).

SMT.MALVIKA SINHA, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./331/18]

Annex - I

Statement on Ownership Pattern of Government securities
Held in the Gilt Accounts as on Quarter ended _____________

Name of the CSGL account holder:

CSGL account number:

Sr. No.	Investor Group	No. of accounts	Amount of Securities held (Face Value in lakhs of `			Total Holding (Face Value in lakhs of `) [4]+[5]+[6]
			State Government Securities	T- Bills	Central Government Securities	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Commercial Banks					
2.	State/ Dist. Central Co-op Banks					
3.	Urban Co-operative Banks					
4.	Mutual Funds					
5.	Insurance Companies					
6.	Financial Institutions					
7.	Corporates					
8.	HUF/ Individuals					
9.	FPIs					
10.	Provident Funds					

11.	Others					
Total						

Annex – II

Statement on Ownership Pattern of Special Securities Issued by Government of India held in the Gilt Accounts as on Quarter ended _____________				
Name of the CSGL account holder:				
CSGL account number:				
Sr. No.	Name of Gilt Account Holder	Type of Special Securities (Oil/Fertilizer/ FCI etc.)	Instrument Nomenclature (ISIN)	Amount (Face Value in ₹ Lakh)
Total				

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.11.12 19:37:38 +05'30'